

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6)अति0कार्य/अलेसे-11 20706-13

दिनांक 22/9/2015

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सलेअ- ग्रेड-11 अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या-5 में अंकित कार्यालय में सलेअ-ग्रेड-11 के रिक्त पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे। इन्हें राजस्थान सेवा नियम के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभार देय होगा :-

क.सं.	लिक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अति. कार्यभार आवंटन कार्यालय का नाम	वि0 विवरण
1	2	3	4	5	6
1	9525	राजेश सैन, सलेअ-11	जिला कलक्टर (ई-गवर्नेन्स) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजसमन्द	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), राजसमन्द	
2	9657	शंकरलाल मीणा, सलेअ-11	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजसमन्द	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, केलवाडा (राजसमन्द)	

विभागीय आदेश क्रमांक 20348-388 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा क्र0सं0 7 एवं 9 पर अंकित श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, सलेअ-11 कार्यालय जिला बाल अधिकारिता विभाग बाल संरक्षण इकाई, राजसमन्द को दिया गया अतिरिक्त कार्य एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

41-5

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6)अति0कार्य/अलेसे-11/ 20706-13

दिनांक 22/9/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 2 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कोष एवं लेखा।
- 3 ☒ उपनिदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा।
- 4 श्री.....सलेअ ग्रेड-11, कार्यालय.....
- 5 निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका।

(के0एम0मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)